सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, डॉ0राकेश कुमार शर्मा, आर.ए.एस.

अपील संख्याः 50/14 **निर्णय दिनांकः— 04.06.2018**

1. रेवन्तराम पुत्र सुरजाराम जाति मेघवाल निवासी जालबसर तहसील श्रीडूँगरगढ़ जिला बीकानेर।

—अपीलांट

—बनाम—

1.	धन्नाराम पुत्र स्व. श्री नानूराम	जाति मेघवाल निवासी जालबसर तहसील श्रीडूँगरगढ़ जिला बीकानेर
2.	गीता बेवाह भंवरराम	
3.	मामराज पुत्र भंवराराम	
4.	सोना पुत्री भंवराराम	
5.	श्रीवंरलाल पुत्र भंवराराम	
6.	पुरखाराम पुत्र भंवराराम	जाति मेघवाल निवासी जालबसर तहसील श्रीडूँगरगढ़ जिला बीकानेर नाबालिगान जरिये माता गीतादेवी पत्नी श्री भंवराराम जाति मेघवाल निवासी जालबसर तहसील श्रीडूँगरगढ़ जिला बीकानेर।
7.	लाछा पुत्री भंवराराम	
8.	दम्पति पुत्री भंवराराम	
9.	तुलछा पुत्री भंवराराम	
10.	बादु पुत्री भंवराराम	
11.	भेरा पुत्र भंवराराम	
12.	पेमाराम पुत्र प्रभुराम	जाति मेघवाल निवासी जालबसर तसहील श्रीडूँगरगढ़ जिला बीकानेर।
13.	पन्नाराम पुत्र प्रभुराम	
14.	हरीराम पुत्र प्रभुराम	

15. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, श्रीडूँगरगढ़।

—रेस्पोडेन्ट्

16. दानाराम पुत्र स्व. सुरजाराम जाति मेघवाज निवासी जालबसर तहसील श्रीडूँगरगढ़ जिला बीकानेर।
17. पेमादेवी बेवाह सुरजाराम जाति मेघवाल निवासी जालबसर तहसील श्रीडूँगरगढ़ जिला बीकानेर।

—गौण रेस्पोडेन्ट

अपील विरुद्व निर्णय दिनांक 19—02—2014
उपखण्ड अधिकारी, श्रीडूँगरगढ़

उपस्थितः—

1. श्री बी.एल.भगत, अभिभाषक अपीलांट
2. श्री नन्दराम कासनियॉ, राजकीय अभिभाषक

—निर्णय—

1. अपीलांट ने यह अपील उपखण्ड अधिकारी, श्रीडूँगरगढ़ के निर्णय दिनांक 19—02—2014 जिसके द्वारा अपीलांट का दावा तथ्यों व कानून के विपरीत जाकर खारिज किया गया है, के विरुद्व इस न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष को सुना गया।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट् ने बहस करते हुए कथन किया कि वादगत् भूमि अपीलार्थी /वादी के दादा नानूराम के नाम खसरा नम्बर 4 तादादी 10 बीघा 10 बिस्वा जिसके नये खसरा नम्बर 7 तादादी 2.66 हेक्टर, खसरा नम्बर 5 तादादी 69 बीघा 4 बिस्वा जिसके नये खसरा नम्बर 8 तादादी 17.50 हेक्टर, खसरा नम्बर 236 तादादी 39 बीघा 10 बिस्वा वाके रोही जालबसर नया खसरा नम्बर 338, खसरा नम्बर 55 तादादी 38 बीघा 8 बिस्वा जिसके नये खसरा नम्बर 97 तादादी 8.19 हेक्टर, खसरा नम्बर 98 तादादी 1052 हेक्टर रोही लाधड़िया, खसरा नम्बर 56 तादादी 31 बीघा 14 बिस्वा जिसके नये खसरा नम्बर 99 तादादी 8.02 हेक्टर रोही लाधड़िया, खसरा नम्बर 57 तादादी 37 बीघा 05 बिस्वा जिसके नये खसरा नम्बर 100 तादादी 9.42 हेक्टर, खसरा नम्बर 235 तादादी 21 बीघा 11 बिस्वा जिसके नये खसरा नम्बर 337 तादादी 5.45 हेक्टर, खसरा नम्बर 226 तादादी 26 बीघा जिसके नये खसरा नम्बर 327 तादादी 6.58 हेक्टर वाके रोही जालबसर तहसील श्रीडूँगरगढ़ में स्थित है। अपीलार्थी के दादा नानूराम के तीन पुत्र सुरजाराम, प्रभुराम व धन्नाराम हुए जिनमें से सुरजाराम व प्रभुराम का देहान्त हो चुका है।

उन्होंने आगे बताया कि अपीलार्थी के दादा मूल खातेदार नानूराम एक अनपढ़ व्यक्ति थे उनको बिना कुछ बताये प्रतिवादी संख्या 1 धन्नाराम ने फर्जी व गलत तरीक से बख्शीसनामा करवाकर अपीलार्थी के पिता के सभी वारिसान को उनके हक व हिस्से से वंचित कर दिया गया है। उक्त बख्शीसनामा जब करवाया गया तब अपीलार्थी के पिता जीवित नहीं थे ऐसी स्थिति उक्त बख्शीसनामा प्रारम्भ से ही शून्य व अवैद्य है। अपीलार्थी के दादा के नाम कुल 8 खेत थे व 274 बीघा 2 बिस्वा भूमि रोही ग्राम जालबसर व लाधड़िया में स्थित थी। अपीलार्थी के दादा नानूराम के तीन पुत्र है। इस प्रकार अपीलार्थी के पिता सुरजााम का 1/3 हिस्सा बनता है लेकिन अपीलार्थी के दादा नानूराम के देहान्त के उपरान्त प्रतिवादी संख्या 1 धन्नाराम द्वारा उक्त फर्जी बख्शीसनामा करवाकर खातेदारी अधिकारों से वंचित कर दिया गया है।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने आगे बताया कि अपीलांट द्वारा उक्त पैतृक सम्पति के गलत इन्द्राज होने के कारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी के समक्ष धोषणात्मक, चिरनिषेधाज्ञा एवं दुरूस्ती का वाद दायर किया गया। जिस पर अदालत मातहत ने बिना रिकार्ड का अवलोकन किये बिना कब्जे काश्त की जॉच किये बिना पर्याप्त सुनवाई का अवसर प्रदान किये मात्र सरसरी तौर पर आदेश पारित करते हुए दावा खारिज किया गया है। प्रकरण में यह निर्विवाद है कि वादगत् भूमि एक पैतृक सम्पति है जिस पर नानूराम के तीनों पुत्रों का बहिस्सा बराबर बनता है। अदालत मातहत ने इस तथ्य पर कोइ गौर किये बिना ही आदेश जैर अपील पारित किया गया है।

जब वादगत् भूमि एक पैतृक सम्पति है तो ऐसी स्थिति में किसी एक वारिस के हक में किसी भी रूप में अंतरित नहीं की जा सकती। यह कानून का प्रतिपादित सिद्वान्त है। अदालत मातहत ने उपरोक्त विधिक प्रावधानों पर कोई गौर किये बिना एक अवैद्य आदेश द्वारा अपीलांट का दावा खारिज कर दिया गया जिससे अपीलार्थी को अपने विधिक अधिकारों से वंचित होना पड़ रहा है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर आदेश जैर अपील निरस्त फरमाया जावे व उपरोक्त वर्णित खसरों के संबंध में दावानुसार खातेदारी, विभाजन एवं दुरूस्ती करने के आदेश प्रदान किये जावे जिससे कि अपीलार्थ को अनावश्यक रूप से अपने विधिक अधिकारों से वंचित नहीं होना पड़े।

4. प्रकरण में रेस्पोडेन्ट को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस तलब किये जाने पर भी वे उपस्थित नहीं आये। अतः उनके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही की गई। विद्वान राजकीय अभिभाषक ने बहस करते हुए कथन किया कि अपीलांट द्वारा वादगत् भूमि को एक अवैद्य बख्शीसनामें के आधार पर प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज किये जाने का कथन किया गया है व स्वयं को वादगत् भूमि पर विरासतन कब्जा काश्त के आधार पर खातेदार धोषित करने की इस्तदुआ की गई है। जबकि प्रकरण में अपीलांट द्वारा ना तो अदालत मातहत के समक्ष ना ही न्यायालय हाजा के समक्ष ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य अर्थात उक्त तथाकथित बख्शीसनामा प्रस्तुत किया गया है। जिससे कि अपीलांट के कथनों को कोई बल प्राप्त हो। ऐसी स्थिति में केवल मात्र मौखिक कथन के आधार पर अपीलांट किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। अदालत मातहत द्वारा इसी आधार पर अपीलांट/वादी का वाद खारिज किया गया है जिसमें हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अतः अपीलांट की अपील खारिज फरमाई जावे।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. (1) हस्तगत् प्रकरण में अदालत मातहत के समक्ष अपीलांट/वादीगण द्वारा दावा धोषणात्मक रिकार्ड दुरूस्ती व प्राप्त करने चिर अस्थाई निषेधाज्ञा बाबत् खसरा नम्बर 4 तादादी 10 बीघा 10 बिस्वा जिसके नये खसरा नम्बर 7 तादादी 2.66 हेक्टर, खसरा नम्बर 5 तादादी 69 बीघा 4 बिस्वा जिसके नये खसरा नम्बर 8 तादादी 17.50 हेक्टर, खसरा नम्बर 236 तादादी 39 बीघा 10 बिस्वा वाके रोही जालबसर नया खसरा नम्बर 338, खसरा नम्बर 55 तादादी 38 बीघा 8 बिस्वा जिसके नये खसरा नम्बर 97 तादादी 8.19 हेक्टर, खसरा नम्बर 98 तादादी 1052 हेक्टर रोही लाधड़िया, खसरा नम्बर 56 तादादी 31 बीघा 14 बिस्वा जिसके नये खसरा नम्बर 99 तादादी 8.02 हेक्टर रोही लाधड़िया, खसरा नम्बर 57 तादादी 37 बीघा 05 बिस्वा जिसके नये खसरा नम्बर 100 तादादी 9.42 हेक्टर, खसरा नम्बर 235 तादादी 21 बीघा 11 बिस्वा जिसके

नये खसरा नम्बर 337 तादादी 5.45 हेक्टर, खसरा नम्बर 226 तादादी 26 बीघा जिसके नये खसरा नम्बर 327 तादादी 6.58 हेक्टर वाके रोही जालबसर तहसील श्रीडूँगरगढ़ भूमि बाबत् अन्तर्गत धारा 88, 92ए, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं धारा 136 भू–राजस्व अधिनिमय के अन्तर्गत प्रस्तुत किये जाने पर अदालत मातहत द्वारा अपीलांट/वादीगण का वाद खारिज किये जाने के फलस्वरूप उक्त अपील अपीलांट्स द्वारा न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

(2) प्रकरण में अपीलांट का मुख्य कथन है कि वादगत् भूमि अपीलांट/वादीगण के दादा नानूराम के तीन पुत्र सुरजाराम, प्रभुराम व धन्नाराम है इस प्रकार अपीलार्थी का वादगत् भूमि पर 1/3 हिस्सा बनता है तथा अपीलार्थी के दादा नानूराम के देहान्त के उपरान्त वह अपने हक व हिस्से की 1/3 भूमि की खातेदारी प्राप्त करने का अधिकारी है।

(3) प्रकरण में अपीलांट/वादीगण के वाद का मुख्य आधार उक्त तथाकथित बख्शीसनामा है। अपीलांट/वादीगण का कथन है कि उक्त बख्शीसनामा अवैद्य व शून्य है क्योंकि उक्त बख्शीसनामा अपीलांट/वादीगण के दादा नानूराम से उस समय करवाया गया है जब अपीलार्थी के पिता जीवित नहीं थे। अपीलांट ने अपने कथन की पुष्टि में उक्त तथाकथित बख्शीसनामा ना तो अदालत मातहत के समक्ष प्रस्तुत किया गया व ना ही न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत किया गया। इस प्रकार अपीलांट ऐसे दस्तावेज के आधार पर न्यायालय से रिलिफ प्राप्त करना चाहते है जोकि अभी तक उनके द्वारा बतौर रिकार्ड प्रस्तुत ही नहीं किया गया है। लिहाजा अपीलांट उक्त तथाकथित बख्शीसनामें के आधार पर कोइ रिलिफ प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है।

(4) प्रकरण में अपीलांट/वादीगण द्वारा जिन राजस्व रिकार्ड के आधार पर दावा प्रस्तुत किया गया है वह जमाबन्दियॉ वर्ष 2007 में जारी की गई है जबकि अपीलांट/वादीगण द्वारा दावा वर्ष 2011 में अदालत मातहत के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। इसप्रकार चार वर्ष पुरानी जमाबन्दी के आधार पर दावा प्रस्तुत करते हुए रिलिफ प्राप्त

करनी चाही गई है जो पूर्णतया कानून के विरूद्व व प्रतिपादित सिद्वान्तों के विपरीत है।

(5) अपीलांट/वादीगण द्वारा जो जमाबन्दी न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है उक्त जमाबन्दी पर वादगत् भूमि के बाबत् स्थगन आदेश का नोट अंकित है इस प्रकार यह स्पष्ट है कि वादगत् भूमि के बाबत् पूर्व में ही प्रकरण जैरकार रहा है। अपीलांट/वादीगण द्वारा तथ्यों को छिपाते हुए नया वाद अदालत मातहत के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। अतः यह स्पष्ट है कि वादगत् भूमि रेसज्यूडिकेसा के कानून से प्रभावित है। अपीलांट/वादीगण स्वच्छ हाथों से न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं आये है। अपीलांट द्वारा न्यायालय हाजा के समक्ष भी ऐसा काई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे अपीलांट के कथनों को कोई बल प्राप्त होता हो। लिहाजा अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश पूर्णतया न्यायसंगत व तर्कसंगत आदेश है। अतः अदालत मातहत द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश में हम हस्तक्षेप करना उचित नहीं पाते है।

7. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलांट की अपील खारिज की जाकर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 19—02—2014 उपखण्ड अधिकारी, श्रीडूँगरगढ़ बहाल रखा जाता है।

8. निर्णय आज दिनांक 04.06.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 राकेश कुमार शर्मा)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर